भारत सरकार

पशुपालन और डेयरी विभाग

(मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय)

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (जुलाई, 2021)

हेतु

परिचालन दिशानिर्देश

राष्ट्रीय डेयरी विकास हेतु कार्यक्रम (एन.पी.डी.डी.) के कार्यान्वयन हेतु परिचालन दिशानिर्देश

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एन.पी.डी.डी.) का उद्देश्य दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि करना तथा संगठित खरीद, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन की हिस्सेदारी बढ़ाना है। इस योजना के दो घटक हैं-

1.1 **घटक 'क'** गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ संघों राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों/जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों/किसान उत्पादक संगठनों/एसएचजी द्वारा चलाई जा रही निजी डेयरियों/दूध उत्पादक कंपनियों के लिए प्राथमिक प्रशीतन सुविधाओं के हेतु बुनियादी ढांचे सृजन/ सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है।

1.2 **घटक 'ख'** अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के साथ पहले से हस्ताक्षरित परियोजना समझौते के अनुसार जापान से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस परियोजना में केंद्र सरकार के हिस्से को एनपीडीडी के माध्यम से वित्त पोषित करने का प्रस्ताव है।

1.3 घटक 'क' और 'ख' के परिचालन संबंधी दिशानिर्देश क्रमश: परिशिष्ट-**I और II** में दिये गये हैं।

घटक- क

2. संचालन का क्षेत्र :

2.1 घटक 'क' को पूरे देश में लागू किया जाएगा।

2.2 घटक 'क' उन राज्यों में सभी घटकों को निधियन करेगा जहां जेआईसीए सहायता के तहत घटक 'ख' के अंतर्गत सहकारिता के माध्यम से डेयरी (डीटीसी) को लागू नहीं किया गया है।

2.3 जेआईसीए सहायता के तहत घटक 'ख' डीटीसी के अंतर्गत कवर राज्यों नामत: बिहार और उत्तर प्रदेश, कोई भी संगठन राज्य भारत सरकार और जापान सरकार के बीच ऋण समझौते के अनुपालन में ही शामिल होगा। घटक 'क' उन घटकों को कवर करेगा जो जेआईसीए सहायता के तहत डीटीसी द्वारा शामिल नहीं किये गये हैं।

3. परियोजना की अवधि:

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पूरे देश में लागू किया जायेगा और वर्ष 2027-28 तक जारी रहेगा।

चल रही एनपीडीडी योजना की दिनांक 31.03.2021 तक प्रतिबद्ध देनदारियों को संबंधित परियोजना के अनुमोदन के समय जारी प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार पहले दो वर्षों यानी वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान संशोधित योजना के तहत पूरा किया जायेगा। इसके अलावा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26, तक कार्यान्वयन अवधि के दौरान उपरोक्त उप-योजनाओं के तहत बनाई जाने वाली प्रतिबद्ध देयता को अगले दो वर्षों यानी वर्ष 2026-27 और वर्ष 2027-28 के दौरान बजटीय सहायता के माध्यम से पूरा किया जायेगा।

4. उद्देश्य

क. किसान को उपभोक्ता से जोड़ने वाली कोल्ड चेन अवसंरचना सहित गुणवत्तापूर्ण दूध के लिए बुनियादी अवसंरचना को बनाना व सुदृढ़ करना;

ख. डेयरी किसानों को स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;

ग. गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ दूध उत्पादन पर जागरूकता पैदा करना;

घ. गुणवत्तापूर्ण वाले दूध और दूध उत्पादों पर अनुसंधान और विकास का समर्थन

5 संस्थागत व्यवस्था, कार्यान्वयन एजेंसियां और प्रक्रिया प्रवाह चार्ट

एनपीडीडी	**घटक 'क'**		
	सहकारिता क्षेत्र	**स्वयं सहायता समूहों द्वारा चलाई जाने वाली निजी डेयरी (एनआरएलएम और एस आरएलएम के अंतर्गत पंजीकृत)**	**एमपीसी और एफपीओ**
अनुशसी करने वाला प्राधिकरण (प्रस्ताव के प्रस्तुत करने हेतु	राज्य स्तरीय तकनीकी प्रबंधन समिति/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/राज्य के आयुक्त (डेयरी विकास व पशुपालन विभाग) दोहराव से बचने के लिए प्रस्ताव की जांच और उसकी सिफारिश करेंगे।		
कार्यान्वयन एजेंसिया	जिन राज्यों में दुग्ध परिसंघ चल रहे हैं वहां सभी राज्य डेयरी परिसंघ/ ऐसे राज्य जहां कोई 'राज्य' स्तरीय दुग्ध परिसंघ नहीं है वहां बड़े क्षेत्रों को कवर करने वाले सहकारी दुग्ध संघ ही राज्य कार्यान्वयन एजेंसी होगें	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम जिसे राज्यों के संबंधित ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्थापित एक पंजीकृत समिति है।	राज्य/क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड
अन्तिम कार्यान्वयन एजेंसियां	सभी राज्य डेयरी परिसंघ और उनके घटक जिला/तालुका स्तर के दुग्ध संघ तथा किसान उत्पादक संगठन, सरकारी डेयरी/अन्य पंजीकृत सहकारिता संघ (जैसे बहुराज्यीय सहकारिता अधिनियम तथा पारस्परिक रूप से सहायता प्राप्त सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी डेयरी)।	जिला स्तर पर कार्य कर रहे जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (डीआरडीए)	दुग्ध उत्पादक कंपनियां/किसान उत्पादक संगठन
ग्राम स्तर की प्रतिभागी एजेंसिया	सभी डेयरी सहकारी समितियां और उपरोक्त एसआईए या ईआईए की एसोसिएटिड या संबद्ध हुई कंपनियां जैसे ग्राम स्तर के एनजीओ, एसएचजी, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, आईसीएआर संस्थान आदि	सभी डेयरी प्रोसेसर और उनके फीडर दूध संग्रह/कूलिंग/प्रशीतक केंद्र योजना के मानदण्डों की शर्तों के अधीन सहयता प्राप्त करने के पात्र होंगे।	दुग्ध उत्पादक संस्थान (एमपीआई)

5.1 सहकारी क्षेत्र :

राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र नागालैंड, ओडिशा, पंजाब राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल के लिए राज्य सहकारी संघ; और शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में दुग्ध संघ राज्य कार्यान्वयन एजेंसी होंगे तथा अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। हालांकि उपरोक्त एसआईए जिला/तालुका स्तर पर संचालित संबंधित अंतिम कार्यान्वयन ऐंजेंसियों के माध्यम से अनुमोदित परियोजनाओं के तहत विशिष्ट गतिविधियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकते हैं।

सरकारी डेयरी/अन्य पंजीकृत सहकारी संघों (जैसे बहुराज्य सहकारी अधिनियम और पारस्परिक रूप से सहायता प्राप्त सरकारी समिति अधिनियम आदि के तहत पंजीकृत डेयरी सहकारी समितियां) के मामले में, जो एसआईए द्वारा संबद्ध/मान्यता प्राप्त नहीं है, वे कार्यक्रम के तहत सीधे राज्य स्तरीय तकनीकी प्रबधन समिति (एसएलटीएमसी) के माध्यम से अपना प्रस्ताव अग्रेषित कर सकते हैं। हालांकि ऐसे मामलों में स्वीकार्य घटकों के लिए केंद्रीय सहायता संबंधित राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे भारत सरकार द्वारा जारी की जायेगी।

5.2 एसएचजी द्वारा चलाई जा रही निजी डेयरी (एनआरएलएम/एसआरएलएम के अधीन पंजीकृत)

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) राज्यों में संबंधित ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्थापित एक पंजीकृत सोसाइटी है जो राज्य कार्यान्वयन एजेंसी होगी तथा जिला स्तर पर संचालित जिला ग्रामीण विकास प्राधिकार (डीआरडीए) निजी डेयरियों के लिए अंतिम कार्यान्वयन एजेंसी होगी। भारत सरकार संबंधित एसआरएलएम को वित्तीय सहायता जारी करेगी जो बदले में एसएचजी द्वारा संचालित निजी डेयरियों के लिए अनुमोदित परियोजनाओं के संबंध में जिला स्तरीय ग्रामीण विकास प्राधिकरणों को निधि जारी करेंगी।

5.3 ग्रामीण स्तर की भागीदार एजेंसियां (वीपीए):

5.3.1 सरकारी डेयरी क्षेत्र में सभी डेयरी सहकारी समितियां और उपरोक्त एसआईए या ईआईए से संबंद्ध या संबंधित अन्य एजेंसियां जैसे एनजीओ, एसएचजी, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और आईसीएआर संस्थानों की ग्राम स्तर की संबंद्ध एजेंसियां आदि योजना

के तहत भाग लेने एवं सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी।

5.3.2 एसएचजी द्वारा संचालित निजी डेंयरी में सभी डेयरी प्रोसेसर और उनके फीडर दूध संग्रह/कूलिंग/प्रशीतक केंद्र योजना के मानदंडों के अधीन सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

6. निधियन किये जाने वाले क्रियाकलापों के घटक

एनपीडीडी के तहत निधियन किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची इस प्रकार है:

6.1 प्राथमिक स्तर पर दूध प्रशीतन सुविधाएं (बीएमसी सहित)

6.1.1 लोक सेवा

6.1.2 बल्क दूध कूलर और अनुषंगियों हेतु उपकरण

6.2 दूध परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना

6.2.1 डीसीएस/ग्राम स्तर की प्रयोगशालाओं/बल्क दूध कूलर केंद्रों/जिला स्तर की प्रयोगशालाओं/राज्य स्तरीय प्रयोगशालाओ, में एफएसएस अधिनियम/कोडेक्स के अनुसार प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद सहित।

6.2.2 प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद (दूध और दूध उत्पादों के रासायनिक/माइक्रोबियल(जिला/संघ/राज्य स्तर के लिए) विश्लेषण के लिए।

6.2.3 प्रयोगशाला फर्नीचर की खरीद

6.2.4 गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली (एचएसीसीपी/आईएसओ), जिसमें उपकरण/कम्प्यूटर/हार्डवेयर/साफ्टवेयर आदि शामिल है।

6.3 प्रमाणन एवं प्रत्यायन

6.3.1 आईएसओ/एचएसीसीपी/गुणवत्ता चिन्ह् आदि के लिए प्रमाणन

6.3.2 खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 के अनुसार प्रमाणन

6.4 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग

ट्रेसेबिलिटी तथा गुणवत्ता नेटवर्क आदि विकसित करने के लिए ब्लॉक चेन, एसएपी, ईआरपी, जैसे साफ्टवेयर सिस्टम के साथ सहकारी सेक्टर में 30 टीएलपीडी और उससे अधिक की सभी सहकारी डेयरियों का सुदृढ़ीकरण।

6.5 प्रशिक्षण एवं किसान जागरूकता कार्यक्रम

योजना के प्रशिक्षण घटक के तहत निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित होगा :-

6.5.1 अच्छी स्वास्थ्यकर प्रथाओं/अच्छी विनिर्माण प्रथाओं में किसानों का प्रशिक्षण

6.5.2 डेयरी कार्मिकों/दूध परीक्षक (संयंत्र और विपणन कर्मचारियों सहित) का प्रशिक्षण।

6.5.3 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों संबंधी प्रशिक्षण

6.5.4 संचालन और गुणवत्ता प्रबंधन पर डीसीएस कर्मी/बीएमसी/प्रशीतन केंद्र एएमसीयू/डीपीएमसीयू का प्रशिक्षण

6.6 योजना और निगरानी

योजना और निगरानी घटकों के तहत परियोजना प्रस्ताव तैयार करने, उनकी निगरानी करने जिसमें क्षेत्र स्तर के निरीक्षण, समीक्षा बैठकें, दस्तावेजीकरण (सफलता की कहानियां, परिणाम, समवर्ती मूल्यांकन, प्रभाव मूल्यांकन आदि) सम्मिलित है, की लागत को पूरा करने के लिए 2% (अधिकतम) निर्धारित किया जायेगा।

6.7 अनुसंधान और विकास

6.7.1 1 लाख और उससे अधिक क्षमता की डेयरियों को सहायता

6.7.2 नये उत्पादों के विकास प्रक्रिया स्वचालन, प्रसंस्करण में लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी, जैव अनुक्रमणीय पैकेजिंग प्रौद्योगिकी ए-2 दुग्ध रुटों का निर्धारण, ट्रेसेबिलिटी प्रणाली का विकास, कास्टिंग माडल के लिए दुग्ध स्थिति, इन्नोवेटर और स्टार्ट-अप सहित संसाधन प्रबंधन ताकि नए नवाचार और अनुसंधान क्षेत्र में आ सकें।

7. निधियन का तरीका और निधि प्रवाह :

7.1 निधियन का तरीका

क) भारत सरकार और राज्य/राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए)/अन्तिम कार्यान्वयन एजेंसी (ईआईए) के मध्य 60:40 के अनुपात में लागत साझे।

ख) पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों हेतु भारत सरकार और राज्य/एसआईए/ईआईए के बीच 90:10 के अनुपापत में लागत साझे होगी।

ग) संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% केंद्रीय सहायता।

घ) एसआईए/ईआईए के मामले में, जहां भी लागू हो, यदि वे अपना हिस्सा प्रदान करने में असमर्थ हैं तो संबंधित एसआईए/ईआईए राज्य सरकार या अन्य किसी ऋण एजेंसी से,संबंधित सहायता केरने वाले/ऋण देने वाले संगठनों के मानदण्डों को पूरा करने की शर्त पर अपने हिस्से को पूरा कर सकती हैं। ऐसे ऋण देने वाले संगठनों/संस्थानों में राज्य

सरकार, **एनसीडीसी और वाणिज्यिक बैंक** आदि शामिल हैं।

ड. अनुसंधान और विकास **आईसीटी** नेटवर्किंग, प्रशिक्षण, **जगरूकता और योजना** तथा निगरानी के लिए निधियन सहायता हेतु 100% सहायता होगी।

7.2 एनपीडीडी के घटक 'क' हेतु निधि प्रवाह :

एनपीडीडी योजना के घटक क के तहत एक राज्य नोडल एजेंसी के बजाय तीन अलग-अलग अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए तीन राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां होंगी। **डीएएचडी इन एसआईए को पीएसी द्वारा अनुमोदित परियोजना और राज्य/एसआईए-द्वारा रिपोर्ट की गयी** प्रगति के आधार पर **निधि जारी करेगा।** .

Fund Flow - Component A (Flow Chart)

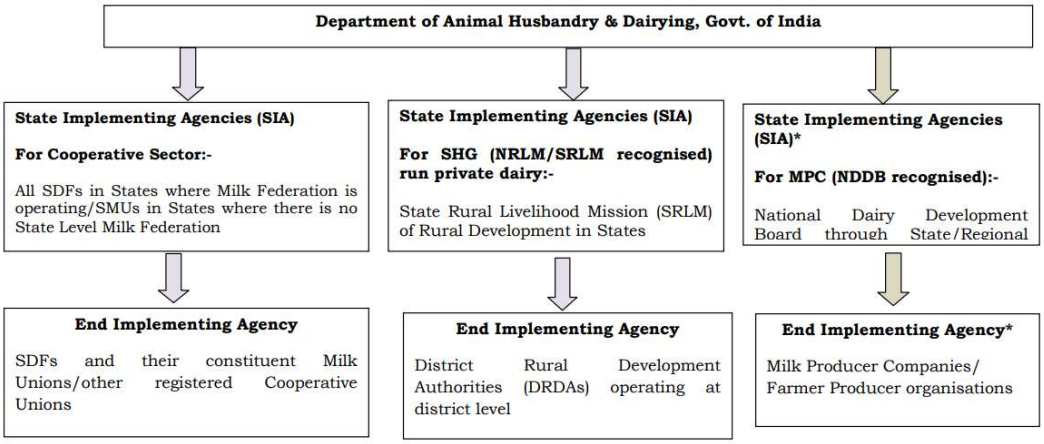

State Nodal Agency-State Milk Federation/Unions for Cooperatives, SRLM for SHG run private dairies and State/Regional Office of NDDB for MPC/FPOs

8. कार्यान्वयन तंत्र

8.1 केंद्रीय परियोजना संचालन समिति (सीपीएससी)-

शीर्ष स्तर पर **भारत सरकार के सचिव** (एएचडी) की अध्यक्षता **में एक केंद्रीय परियोजना** संचालन समिति (सीपीएससी) **होगी जो परियोजना के लिए नीति एवं रणनीतिक** सहायता प्रदान करेगी, **एनपीडीडी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करेगी**, वार्षिक कार्य योजनाओं पर विचार करेगी, नीति निर्देश देगा और इसके पास **अनुमोदित कार्यक्रमों में** घटकवार निधि आवश्यकता को पुनर्विनियोजन करने का अधिकार होगा, **पात्रता** शर्तों और

हितधारकों के बीच की अन्य नियमों और शर्तों को बदलने तथा समितियो की संरचना सीपीएससी और पीएससी में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

सचिव, डीएएचडी	अध्यक्ष
वित्त सलाहकार, डीएएचडी	सदस्य
पशुपालन आयुक्त , डीएएचडी	सदस्य
उप महानिदेशक (पशु विज्ञान) आईसीएआर	सदस्य
प्रधान सचिव/राज्य के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव (पूर्व,पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में प्रत्येक से एक)	सदस्य
राज्य डेयरी परिसंघ के प्रबंध निदेशक (पूर्व,पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, प्रत्येक से एक)	सदस्य
अध्यक्ष, एनडीडीबी या उनके द्वारा नामित कोई अन्य	सदस्य
प्रबंध निदेशक/कार्यकारी निदेशक एनडीडीबी	सदस्य
समूह प्रमुख (एफपीएस) एनडीडीबी	सदस्य
निदेशक एनडीआरआई, करनाल के	सदस्य
एनआरएलएम प्रतिनिधि	सदस्य
प्रेक्षक के रूप में जेआईसीए के प्रतिनिधि	सदस्य
संयुक्त सचिव (सीडीडी), डीएएचडी	सदस्य सचिव

8.2 परियोजना मंजूरी समिति (पीएससी)

परियोजना मंजूरी समिति (पीएससी) के अध्यक्ष सचिव एएचडी भारत सरकार होंगे और डीएएचडी के डेयरी डिवीजन द्वारा मूल्यांकन के बाद उन्हें परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार होगा। पीएससी के पास घटकों के भीतर/अनुमोदित उप-परियोजनाओं के भीतर

निधियों के पुनर्विनियोजन, मानदंड बदलने और परियोजना के मदों की ईकाई लागत बदलने की शक्ति होगी। पीएससी, एसएलटीएमसी से प्राप्त अनुशंसित प्रस्तावों पर विचार करने के लिए जिम्मेदार होगी। पीएससी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एसएलटीएमसी के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों पर बिना किसी अनुचित देरी के विचार किया जाए, तिमाही या जितनी बार आवश्यक हो बैठक करेगी। पीएससी की संरचना इस प्रकार होगी::-

i. सचिव एएचडी, भारत सरकार- समिति के अध्यक्ष के रूप में
ii. वित्तीय सलाहकार डीएएचडी
iii. संयुक्त सचिव (डेयरी विकास) डीएएचडी
iv. अध्यक्ष एनडीडीबी या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति जो कार्यकारी (ईडी) से नीचे की रैंक का न हो।
v. कार्यकारी निदेशक/ग्रुप हेड(एफपीएस) एनडीडीबी
vi. संबंधित राज्य के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए उस राज्य सरकार और राज्य डेयरी परिसंघ का एक प्रतिनिधि आमंत्रित होगा।
vii. आईसीएआर का प्रतिनिधि
viii. ग्रामीण विकास का प्रतिनिधि
ix. एनआरएलएम/संबंधित एसआरएलएम का प्रतिनिधि
x. उप आयुक्त (डीडी)/सहायक आयुक्त (डीडी), भारत सरकार-संयोजक सदस्य

8.3 कार्यक्रम समन्वय प्रबंधन प्रकोष्ठ (पीसीएमसी)

सीपीएससी और पीएससी को सचिवालय सहायता प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम समन्वय प्रबंधन प्रकोष्ठ (पीसीएमसी) बनाया जायेगा। डेयरी प्रभाग (पीसीएमसी और पीएमए द्वारा समर्थित) परियोजना के उद्देश्यों और डिलिवरेबटस के अनुसार योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सीपीएससी को इनपुट प्रदान करने के लिए और उसके साथ-साथ परियोजना प्रस्तावों के विश्लेषण और समय पर पीएससी के समक्ष रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

8.4 राज्य स्तरीय तकनीकी प्रबंधन समिति (एसएलटीएमसी)

राज्य स्तर पर एक राज्य स्तरीय तकनीकी प्रबंधन समिति (एसएलटीएमसी) होगी, जिसकी अध्यक्षता राज्य के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/ राज्य के आयुक्त करेंगे, जिसमें डीएएचडी, एसआरएलएम, राज्य डेयरी परिसंघ और एनडीडीबी, के प्रतिनिधि प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और राज्य में लागू इसी प्रकार डेयरी विकास संबंधी कार्यक्रमों के मध्य

तालमेल बनाये रखने के लिए सदस्य के रूप में शामिल होंगे । एसएलटीएमसी परियोजनाओं की राज्य स्तरीय निगरानी प्राथमिक डेयरी सोसाइटी और प्राथमिक स्तर की कोल्ड चेन अवसंरचना की सांविधिक आवश्यकताओं जैसे ग्रामीण स्तर के संस्थानों के लिए भूमि की उपलब्धता, एसआईए/ईआईए के मध्य समन्वय नीति सहयोग आदि को देखेगी। एसएलटीएमसी यह भी सुनिश्चित करेगी कि राज्यों में क्रियाकलापों तथा परियोजना क्षेत्र का दोहराव न हो। एसएलटीएमसी की संरचना इस प्रकार होगी:

i. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/राज्य सरकार के डीएडीएफ के आयुक्त-अध्यक्ष, समिति ।

ii. डेयरी विकास/राज्य सरकार के पशुपालन विभाग से प्रतिनिधि होंगे

iii. पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार के प्रतिनिधि

iv. राज्य सरकार के वित्त और योजना विभाग के प्रतिनिधि

v. योजना वाले जिलों के जिलाधिकारी या उनका प्रतिनिधि

vi. राज्य पशुधन बोर्ड सीईओ,

vii. एसआरएलएम के प्रतिनिधि

viii. राज्य डेयरी परिसंघ दूध उत्पादक कंपनी के प्रबंध निदेशक -संयोजक सदस्य – (घटक क के अन्तर्गत आने वाली परियोजनाओं हेतु)

ix एनडीडीबी के प्रतिनिधि (अध्यक्ष, एनडीडीबी द्वारा नामित), संयोजक सदस्य (घटक 'ख' के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं हेतु)

9. परियोजना की तैयारी और प्रस्ताव प्रस्तुत करना

क. स्थिति विश्लेषण किया जाएगा और जिसमें (क) एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा पूर्व परियोजना बेसलाइन सर्वेक्षण; (ख) पहले के कार्यक्रमों के तहत निधियन, (ग) विभिन्न भागीदारों की भूमिका और क्षमताएं; और (घ) संचालन का क्षेत्र आदि शामिल होंगे।

ख. एनपीडीडी के तहत परियोजना/उप-परियोजना के प्रस्ताव इष्टतम संसाधन उपयोग सुनिश्चित करेंगे और परिहार्य व्यय और क्रियाकलापों के दोहराव/ओवरलैप को हतोत्साहित करेंगे।

ग. बेकार उपकरणों तथा क्षतिग्रस्त लेकिन मरम्मत योग्य उपकरणों को फिर से चालू करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिएं। वास्तविक आवश्यकता का आकलन करने के बाद ही नई खरीद का प्रस्ताव किया जाए।

घ. प्रस्ताव, निर्धारित फैक्टशीट पत्रों और दिशानिर्देश के अनुबंध के अनुसार अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करके तैयार किया जाए।

ङ. परियोजना प्रस्तावों को तकनीकी रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए व्यापक रूप से आसपास दो से तीन के जिलों में डेयरी विकास की परिकल्पना करने के लिए नियोजित किया जाए। प्रस्ताव तैयार करते समय, एसआईए/ईआईए यह देखेंगे कि प्रत्याशित डेयरी विकास संबंधी क्रियाकलाप परियोजना जिलों में चल रही और अनुमोदित डेयरी अवसंरचना परियोजनाओं के क्रियाकलापों के साथ संरेखित हैं ताकि विकासात्मक क्रियाकलापों में परियोजना संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। राज्य के दो से तीन जिलों में अनुपयोगी पड़ी मौजूदा डेयरी अवसंरचना को राज्य की समग्र आवश्यकता की परिकल्पना के लिए परियोजना की योजना के दौरान आधारभूत विश्लेषण के दायरे में लाया जाना चाहिए। राज्य के प्रमुख सचिव/प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी प्रबंधन समिति यह सुनिश्चित करेगी कि किसी परियोजना/परियोजनाओं के समूह में परियोजना कार्यकलापों और परियोजना क्षेत्र का दोहराव न हो।.

च. राज्य सरकार/एसएलटीएमसी द्वारा विधिवत अनुशंसित एसआईए के परियोजना प्रस्ताव को डीएएचडी के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

छ. परियोजना मंजूरी समिति द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी समय पर डीएएचडी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

ज. योजना के तहत डीपीआर तैयार करने के लिए एक सांकेतिक जांच सूची इस प्रकार है:-

i. डीपीआर में कार्यान्वयन एजेंसियों का प्रोफाइल शामिल होना चाहिए, जिसमें वित्तीय स्थिति प्रदान की गई घटक-वार निधि आवश्यकता संबंधी औचित्य सहित प्रदान की गई अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियां शामिल होना चाहिए।

ii. विभाग की वेबसाइट में दिए गए अनुसार भरा गया अनुलग्नक- I से VI (जिला-वार और समेकित)।

iii. केंद्र/राज्य सरकार की योजनाओं के तहत परियोजना के साथ निधियन और परियोजना क्रियाकलापों के दोहराव न होने को दर्शाने वाला बचनबद्ध (अंडरटेकिंग)।

iv. प्रस्तावित उपकरणों (प्रकार (मेक) क्षमता, वर्ष आदि सहित) और सिविल कार्यों की लागत (क्षेत्रफल और प्रति यूनिट लागत) के समर्थन में पर्याप्त कोटेशन/निविदा दस्तावेजों/आदेशों आदि की प्रतियों होनी चाहिए।

v. डीपीआर में प्रस्तावित जिले में पहले की परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति और क्लोजर रिपोर्ट तथा यूसी के साथ लक्ष्य के मुकाबले उसकी वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां।

vi. पिछले वित्तीय वर्ष के लिए बैलेंस शीट और लाभ तथा हानि खाता, जो स्पष्ट रूप से शुद्ध और संचित लाभ और हानि दर्शाता हो।

vii. कार्यान्वयन एजेंसी ने योजना के कार्यान्वयन के लिए पीएफएमएस में सभी ईआईए मैप किया है।

viii. डेयरी संयंत्र के एफएसएसएआई, आईएसओ, एचएसीसीपी आदि के प्रमाणीकरण की प्रति।

Project Preparation and Submission - Component A (Flow Chart)

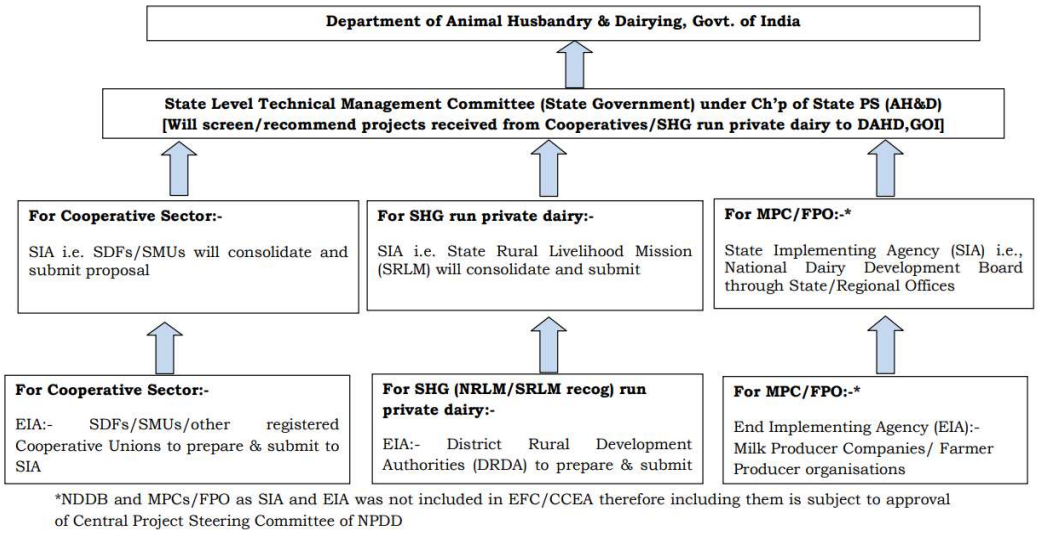

*NDDB and MPCs/FPO as SIA and EIA was not included in EFC/CCEA therefore including them is subject to approval of Central Project Steering Committee of NPDD

UC Submission - Component A (Flow Chart)

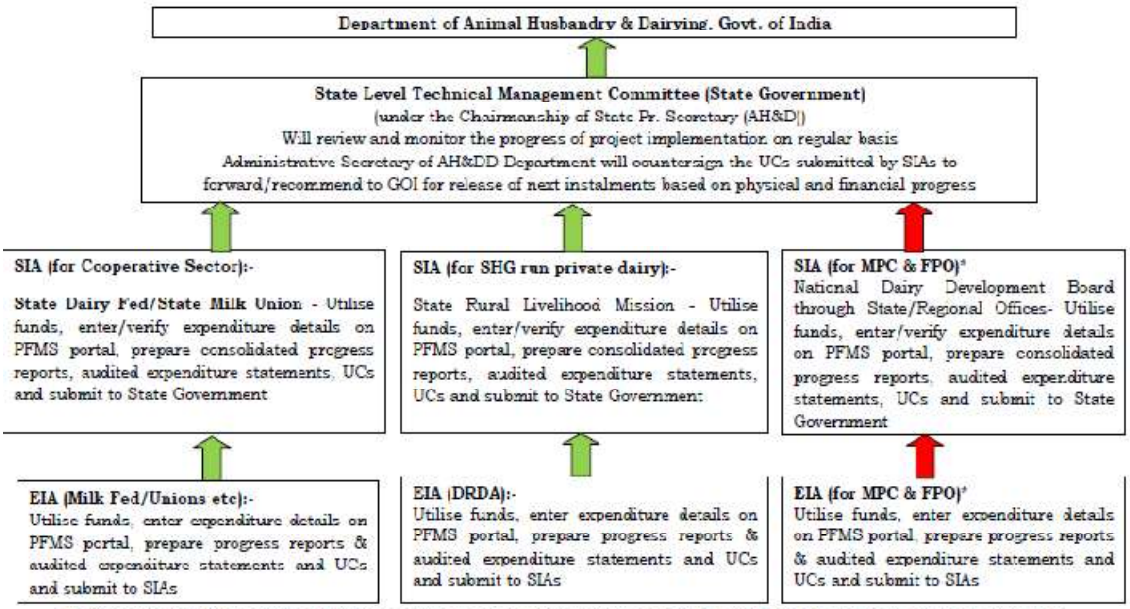

*NDDB and MPCs/FPO as SIA and EIA was not included in EFC/CCEA therefore including them is subject to approval of Central Project Steering Committee of NPDD

10. सूचना प्रस्तुत करना:

एसआईए तिमाही आधार पर डीएएचडी को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगी (मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर माह के अंत में):

i) राज्य-वार, परियोजना-वार और घटक-वार प्रगति रिपोर्ट, जिसमें कुल परिव्यय, अनुदान सहायता, एसआईए/ईआईए योगदान, ईआईए को जारी की गई निधि, ईआईए द्वारा उपयोग

की गई निधि, अव्ययित शेष आदि को दर्शाया गया हो।

ii) अनुमोदित वास्तविक मानकों की तुलना में वास्तविक प्रगति। बीएमसी/प्रयोगशाला उपकरण आदि की स्थापना की स्थिति

iii) लेखा परीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र (पंजीकृत लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित और संबंधित राज्य पशुपालन और डेयरी विभाग की राज्य स्तरीय तकनीकी प्रबंधन समिति के प्रशासनिक सचिव / अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)।

iv) अनुमोदित घटकों/उप-घटकों/मदों आदि की तुलना में व्यय की लेखापरीक्षित रिपोर्ट।

vi) परियोजना के अंतर्गत शामिल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला आबादी।

11. राज्यों की रैंकिंग (क्रेडिट रैंकिंग)

राज्य स्तरीय तकनीकी प्रबंधन समिति (एसएलटीएमसी) की बैठकों के माध्यम से राज्यों के परियोजना निष्पादन और कार्यान्वयन प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। तदनुसार, राज्यों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक दी जाएगी। रैंकिंग को क्रेडिट रैंकिंग के रूप में समझा जा सकता है जो राज्यों को योजना के तहत प्राथमिकता आधार पर परियोजनाओं के अधीन आगे वित्तीय सहायता के संबंध में अवगत कराने और उसे प्राप्त करने में मदद करेगी।

12. परियोजना निगरानी एजेंसी (पीएमए)

ऑनलाइन परियोजना निगरानी पोर्टल के माध्यम से डेयरी विकास योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं/उप-परियोजनाओं की समग्र निगरानी के उद्देश्य से, पीएमए को स्थापित किया जाएगा जो एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित करने के लिए जिम्मेदार होगी।

पीएमए के कार्य:

I. अनुमोदित परियोजना अनुसूची के अनुसार डेयरी परियोजनाओं की निगरानी
II. डीएएचडी द्वारा नीतिगत हस्तक्षेप और रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए सभी जानकारी प्रदान करने के लिए एमआईएस का रखरखाव।
III. आवधिक आधार पर और आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न योजनाओं की वित्तीय/ वास्तविक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना.

13. परियोजना पूर्णता रिपोर्ट:

परियोजना के पूरा होने पर, राज्य सरकार लक्ष्य की तुलना में परियोजना के तहत प्राप्त उपलब्धियों की समीक्षा करेगी और एक समेकित उपयोग प्रमाण पत्र (लेखापरीक्षित), व्यय के समेकित लेखा परीक्षित विवरण तथा एसआईए/ईआईए/पीआईए आदि की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के साथ अपनी उपलब्धियों, असफलताओं आदि को दर्शाते हुए एक परियोजना पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

अनुबंध- I

फैक्ट शीट- राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम

राज्य :

1.0 परियोजना सांराश

1.1 कुल अनुमानित लागत (लाख रु. में)

1.2 परियोजना की अवधि

1.3 कवर किए गए जिले

1.4 राज्य कार्यान्वयन एजेंसी का नाम

2.0 मद							
			आधार वर्ष		ईओपी लक्ष्य		
	निगरानी मानक						
2.1	संगठित डीसीएस						
2.2	कार्यशील डीसीएस						
2.3	किसान सदस्य (000)						
2.4	प्रशीतन क्षमता (टीएलपीडी)						
2.4.1	प्रशीतन संयंत्र क्षमता						
2.4.2	बल्क दुग्ध कूलर						
2.5	डेयरी संयंत्र की क्षमता (टीएलपीडी)						
2.6	दैनिक औसत दुग्ध खरीद (टीकेजीपीडी)						
2.7	दैनिक औसत दुग्ध विपणन (टीकेजीपीडी)						

3.0	**परिव्यय विवरण**	राशि लाख रुपये में			
	मद		पूंजी	आवर्ती	कुल
3.1	दुग्ध प्रशीतन सुविधाएं				
3.2	दुग्ध परीक्षण प्रयोगशालाएं				
3.3	मान्यता एवं प्रमाणन				
3.4	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग				
3.5	प्रशिक्षण				
3.6	जागरूकता				
3.7	योजना और निगरानी				
3.8	अनुसंधान और विकास				

	सकल योग						
4.0	**वित्तीय आवश्यकता**	राशि लाख रुपये में					
		व्यय का वर्षवार चरण					
		प्रथम वर्ष	द्धितीय वर्ष	तृतीय वर्ष			कुल
5.0	मौजूदा/प्रस्तावित बल्क मिल्क कूलर का क्षमता सहित स्थान						
6.0	मौजूदा/प्रस्तावित एएमसीयू /डीपीएमसीयू/ईएमएटी का स्थान						
7.0	मौजूदा/प्रस्तावित डेयरी संयंत्र प्रयोगशालाओं का स्थान						
8.0	चालू वर्ष के 01 अप्रैल तक अव्ययित शेष धनराशि						
9.0	चालू वर्ष के 31 मार्च तक उपयोगिता प्रमाणपत्र :						

टीएलपीडी:---> हजार लीटर प्रति दिन

टीकेजीपीडी:----> हजार कि.ग्रा. प्रति दिन

अनुबंध-II

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम

डेयरी विकास परियोजना के लिए चिह्नित जिले में दूध उत्पादन का अनुमान						
(वर्ष ----------)						
जिले का नाम						
क्र.सं.	**विवरण**					
1.0	दुधारू पशुओं की संख्या					
1.1	गाय					
1.2	भैंस					
2.0	दुग्ध उत्पादन (झुंड का औसत)					
2.1	गाय (लीटर/प्रति दिन)					
2.2	भैंस (लीटर/प्रति दिन)					
3.0	औसत लैक्टेशन की अवधि (दिन)					
3.1	गाय					
3.2	भैंस					
4.0	औसत शुष्क अवधि (दिन)					
4.1	गाय					
4.2	भैंस					
5.0	दैनिक दुग्ध उत्पादन (एमटी)					
5.1	गाय					
5.2	भैंस					
5.3	कुल					
6.0	वार्षिक दुग्ध उत्पादन (एमटी)					
6.1	गाय					
6.2	भैंस					
6.3	**कुल**					

अनुबंध-III

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम

परियोजना के प्रमुख वास्तविक लक्ष्य और निगरानी मानक

क्र.सं.	**विवरणफ**	**आधार**	**संचालन के वर्ष**		
		वर्ष	**1st**	**2nd**	**3rd**
					(ईओपी)
1.0	**प्रमुख वास्तविक लक्ष्य**				
1.1	कार्यशील डीसीएस की संख्या *				
1.2	उत्पादक सदस्य (000) *				
1.3	प्रशीतन क्षमता (टीएलपीडी) #				
1.3.1	प्रशीतन संयंत्र क्षमता (टीएलपीडी				
1.3.2	बल्क मिल्क कूलर (टीएलपीडी)				
1.4	डेयरी संयंत्र क्षमता (टीएलपीडी) #				
1.5	औसत दैनिक दुग्ध खरीद (टीकेजीपीडी)				
1.6	औसत दैनिक दुग्ध विपणन (टीएलपीडी) **				
1.7	सुदृढ की गई ग्राम स्तरीय प्रयोगशालाओं की संख्या				
1.7.1	स्वचालित दुग्ध संग्रहण यूनिटें				
1.7.2	डाटा प्रसंस्करण और दुग्ध संग्रह यूनिट				
1.7.3	इलैक्ट्रॉनिक मिलावट परीक्षण मशीन				
1.8	सुदृढ़ की गई राज्य/जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं की संख्या				
1.9	दूध की मिलावट संबंधी परीक्षण नमूनों की औसत संख्या				
1.10	औसत मिथेलीन ब्लू रिडक्शन टाईम				
1.11	कवर किए गए गांवों की संख्या				
2.0	**निगरानी मानक**				
2.1	प्रति कार्यशील डीसीएस सदस्य				
2.2	प्रति सदस्य औसत खरीद (एलपीडी)				
2.3	प्रति डीसीएस औसत खरीद (एलपीडी)				

………………. ………… राज्य के……………….जिले और

* ----> ……… ………………….में

** ---> टाऊन ………………….में………….

----> कृपया संयंत्र के स्थान के साथ-साथ उसकी क्षमताओं को दर्शाये।

कृपया दुग्ध मार्गों पर संयंत्र के स्थान और क्षमताओं को दिखाते हुए एक मानचित्र संलग्न करें।

अनुबंध -IV

<u>एनपीडीडी के तहत ईएमएटी/एएमसीयू/डीपीएमसीयू की स्थापना के लिए प्रस्ताव</u>

राज्य:_____

राज्य कार्यान्वयन एजेंसी का नाम :_____

कवर करने के लिए प्रस्तावित किए गए जिले :_____

परियोजना के वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य :-

क्र.सं.	ईआईए/दुग्ध संघ का नाम	जिले का नाम		तालुका/ब्लॉक का नाम			डीसीएस/एसएचजी की कुल सं.	डीसीएस/एसएचजी की संख्या जिनमें ईएमएटी/एएमसीयू/डीपीएमसीयू स्थापित है			डीसीएस/एसएचजी की संख्या जहां ईएमएटी/एएमसीयू/डीपीएमसीयू स्थापित नहीं हैं (अंतर)	ईएमएटी/एएमसीयू/डीपीएमसीयू की स्थापना के लिए प्रस्तावित डीसीएस/एसएचजी की संख्या			
								ईएमएटी	एएमसीयू	डीपीएमसीयू		ईएमएटी	एएमसीयू	डीपीएमसीयू	कुल
1		1.1		1.1.1											
				1.1.2											
		1.2		1.2.1											
				1.2.2											
		उप-योग													
2		2.1		2.1.1											

				2.1.2										
		2.2		2.2.1										
				2.2.2										
		उप-योग												
		सकल योग												

*विस्तृत विवरण और घटक-वार लागत के वर्गीकरण को डीपीआर में अलग से उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

अनुबंध-IV (जारी/..)

<u>कवर करने के लिए प्रस्तावित डेयरी सहकारी समितियों की सूची (प्रत्येक जिले के लिए अलग-अलग शीट)</u>

क्र.सं.	जिले का नाम	तालुका/ब्लॉक का नाम	ईएमएटी/एएमसीयू/ डीपीएमसीयू की स्थापना के लिए प्रस्तावित डीसीएस/एसएचजी का नाम	क्या डीसीएस/एसएचजी पंजीकृत/अपंजीकृत है	स्थापित करने के लिए प्रस्तावित ईएमएटी/एएमसीयू/डीपीएमसीयू	औसत दैनिक दुग्ध खरीद (एलपीडी) (2020-21)	डीसीएस/एसएचजी के पास पंजीकृत दुग्ध उत्पादकों की संख्या	प्रस्तावित डीसीएस पर वर्तमान में उपलब्ध दुग्ध परीक्षण सुविधा

अनुबंध-V

<u>एनपीडीडी के तहत बीएमसी की स्थापना के लिए प्रस्ताव</u>

राज्य :_____

राज्य कार्यान्वयन एजेंसी का नाम :_____

कवर करने के लिए प्रस्तावित किए गए जिले :_____

परियोजना के वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य :-

क्र. सं.	ईआईए/ दुग्ध संघ का नाम	जिले का नाम		तालुका/ब्लॉक का नाम			डीसीएस की कुल सं.	डीसीएस/एसएचजी की संख्या जिनमें बीएमसी की स्थापना की जानी है#						डीसीएस /एसएचजी की संख्या जहां बीएमसी स्थापित नहीं हैं (अंतर)	बीएमसी की स्थापना के लिए प्रस्तावित डीसीएस/एसएचजी की संख्या					
								सं.	क्षमता (केएल)				कुल क्षमता (केएल)		सं.	क्षमता (केएल)				कुल क्षमता (केएल)
									0.5	1	2	5				0.5	1	2	5	
1		1.1		1.1.1																
				1.1.2																
		1.2		1.2.1																
				1.2.2																
		उप-योग																		
2		2.1		2.1.1																
				2.1.2																
		2.2		2.2.1																
				2.2.2																

		उप-योग															
		सकल योग															

डीसीएस/एसएचजी की सूची जहां बीएमसी स्थापित है, उसकी क्षमता और दूध खरीद के वर्तमान स्तर को अलग शीट पर उपलब्ध कराएं।

* विस्तृत विवरण और घटक-वार लागत के वर्गीकरण को डीपीआर में अलग से
उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

अनुबंध-V (जारी/..)

<u>कवर करने के लिए प्रस्तावित की गई डेयरी सहकारी समितियों की सूची</u>

<u>(प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग शीट)</u>

क्र. सं.	जिले का नाम	तालुका/ब्लॉक का नाम	बीएमसी की स्थापना के लिए प्रस्तावित डीसीएस/एसएचजी का नाम	क्या डीसीएस/एसएचजी पंजीकृत/अपंजीकृत है	प्रस्तावित बीएमसी डीसीएस के साथ संबद्ध क्लस्टर डीसीएस/एसएचजी का नाम	क्लस्टर डीसीएस/एसएचजी और बीएमसी डीसीएस पर औसत दैनिक दुग्ध खरीद (एलपीडी) (2020-21)	क्लस्टर डीसीएस/एसएचजी और बीएमसी डीसीएस के पास पंजीकृत दुग्ध उत्पादकों की संख्या	क्लस्टर डीसीएस/एसएचजी और बीएमसी डीसीएस/एसएचजी पर वर्तमान में उपलब्ध दूध परीक्षण की सुविधा

अनुबंध- VI

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम

<u>डेयरी परियोजना की अनुमानित लागत.....</u>

जिले का नाम :- **(लाख रु. में)**

				कार्यान्वयन के वर्ष			कुल लागत
	घटकवार आवंटन	वास्तविक लक्ष्य	यूनिट मूल्य/लागत	1st	2nd	3rd	
		<u>ईओपी</u>					
1.0	**दुग्ध प्रशीतन सुविधाएं (गांव/ब्लॉक/जिला स्तर पर)**						
	पूंजीगत व्यय						
1.1	सिविल कार्य, बल्क दुग्ध कूलर के लिए उपकरण						
1.2	बल्क दुग्ध कूलर के लिए उपकरण						
	उप-योग (पूंजी)						
2	**दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादक परीक्षण प्रयोगशालाओं का निर्माण/स्थापना**						
2.1	**पूंजीगत व्यय**						
2.1.1	**बल्क दुग्ध कूलर (बीएमसी) केंद्रों पर डीसीएस/ग्राम स्तरीय प्रयोगशालाएं**						
2.1.1.1	डाटा प्रसंस्करण और दूध संग्रहण यूनिट						
2.1..1.2	स्वचालित दुग्ध संग्रहण यूनिट						
2.1.1.3	इलैक्ट्रॉनिक दुग्ध मिलावट परीक्षण मशीन						
2.1.1.4	प्रयोगशाला के फर्नीचर की खरीद						
2.1.1.5	कोई अन्य उपकरण (विवरण अलग शीट में उपलब्ध कराया जाए)						
2.1.2	**डेयरी संयंत्र स्तर/राज्य स्तर**						
2.1.2.1	प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद (दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के रासायनिक/ माइक्रोबायल मूल्यांकन के लिए) (केवल संघ/राज्य स्तर के लिए) (विवरण अलग से उपलब्ध कराया						

	जाए)						
2.1.2.2	उपकरण/कंम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आदि के साथ गुणवत्ता आश्वासन के लिए प्रणाली (एचएसीसीपी/आईएसओ)						
	उप-योग (पूंजी)						
3	**मान्यता और प्रमाणन**						
3.1	**आवर्ती व्यय**						
3.1.1	एचएसीसीपी/आईएसओ के तहत डेयरी स्थापनाओं का प्रमाणन और मान्यता						
	उप-योग (आवर्ती)						
4	**सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग**						
4.1	**पूंजीगत व्यय**						
4.1.1	सहायक उपकरणों के साथ कंम्प्यूटर हैंडहेल्ड टर्मिनल्स की खरीद						
4.1.2	सर्वर प्रणाली की खरीद						
4.1.3	सॉफ्टवेयर प्रणाली की खरीद/स्थापना (ट्रैसेबिलिटी, गुणवत्ता नेटवर्क को विकसित करने के लिए ब्लॉक चेन, एसएपी, ईआरपी)						
	उप-योग (पूंजी)						
5	**प्रशिक्षण**						
5.1	**आवर्ती व्यय**						
5.1.1	अच्छी स्वच्छता प्रथाओं/अच्छी विनिर्माण प्रथाओं में किसानों को प्रशिक्षण						
5.1.2	डेयरी कर्मियों/दुग्ध परीक्षकों को प्रशिक्षण (संयंत्र और विपणन स्टाफ सहित)						
5.1.3	गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली पर प्रशिक्षण						

5.1.4	संचालन और गुणवत्ता प्रबंधन पर डीसीएस/बीएमसी/प्रशीतन केंद्र/एएमसीयू/डीपीएमसीयू के स्टाफ को प्रशिक्षण						
	उप-योग (आवर्ती)						
6	**जागरूकता निर्माण**						
6.1	**आवर्ती व्यय**						
7	**योजना और निगरानी**						
	आवर्ती व्यय						
7.1	**परियोजना पूर्व आधारभूत संर्वेक्षण (स्वतंत्र एजेंसी द्वारा) और परियोजना रिपोर्ट तैयार करना**						
7.2	**परियोजना का समवर्ती मूल्यांकन और पूर्ण रूप से स्वतंत्र मूल्यांकन और परियोजना के पश्चात् प्रभाव मूल्यांकन सर्वेक्षण (सफलता की कहानियो, परिणाम आदि के साथ)**						
7.3	फील्ड स्तरीय निरीक्षण, समीक्षा बैठकें आदि						
	उप-योग (आवर्ती)						
8	**अनुसंधान और विकास**						
	कुल पूंजीगत व्यय						
	कुल आवर्ती व्यय						
	सकल योग						

घटक ख

क. पृष्ठभूमि :

I. किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार के आदेश के अनुरूप, इस विभाग ने "सहकारिता के माध्यम से डेयरी" के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) ओडीए ऋण सहायता प्रस्ताव शुरू किया था (जिसे "जेआईसीए के दस्तावेज़ में डेयरी विकास के लिए परियोजना" के रूप में भी जाना जाता है)।

II. इस योजना की परिकल्पना 1568.28 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ की गई है जिसमें जेआईसीए द्वारा 924.56 करोड़ रुपये (जेपीवाई 14,978 मिलियन) के ऋण के रूप में और सरकार द्वारा अनुदान के रूप में शेष 475.54 करोड़ रुपये की राशि तथा भाग लेने वाले संस्थानों का हिस्सा 168.18 करोड़ रुपये होगा।

III. 24.09.2018 को पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार, जेआईसीए और एनडीडीबी द्वारा पायलट प्रोजेक्ट पर चर्चा का कार्यवृत्त (एमओडी) नामक एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

IV. डेयरी विकास हेतु परियोजना के लिए नोट और ऋण समझौते के आदान-प्रदान पर दिनांक 21.12.2018 को क्रमशः आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए), भारत सरकार और जापान सरकार तथा जेआईसीए के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं।

ख. उद्देश्य:

संगठित बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाकर दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करना**,** डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन के बुनियादी ढांचे को उन्नत करना और उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करना**,** परिणामस्वरूप परियोजना क्षेत्र में दूध उत्पादकों के लाभ में वृद्धि हेतु योगदान करना।

ग. परियोजना घटक :

I. दूध खरीद की अवसंरचना को मजबूत करना
II. दुग्ध प्रसंस्करण सुविधाएं और विनिर्माण सुविधाएं (दूध और दूध उत्पाद तथा गोपशु आहार)
III. विपणन अवसंरचना के लिए समर्थन

IV. आईसीटी के अवसंरचना के लिए समर्थन

V. उत्पादकता में वृद्धि

VI. परियोजना निगरानी और अध्ययन

VII. प्रशिक्षण और क्षमता विकास

घ. परियोजना क्षेत्र :

बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर कवर किया जाएगा। हालांकि, किसी भी राज्य को भारत सरकार और जापान सरकार के बीच ऋण समझौते के अनुपालन में ही सम्मिलित किया जायेगा।

ऋण समझौते के अनुसार परियोजनाओं की अवस्थिति निम्नलिखित है:

"निम्नलिखित राज्यों में से दो राज्यों का चयन किया गया। राज्यों की संख्या पांच राज्यों तक बढ़ाई जा सकती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, पंजाब"

यह योजना उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के सभी जिलों को कवर करेगी। डेयरी क्षमता वाले सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों (सभी 21 आकांक्षी जिलों को शामिल करते हुए) को प्राथमिकता दी जाएगी।

ड. पात्र प्रतिभागी संस्थान (पीआई)/उत्पादक के स्वामित्व वाले संस्थान (पीओआई)

दुग्ध संघ/बहु-राज्य दुग्ध सहकारिताएं/राज्य डेयरी परिसंघ/दुग्ध उत्पादक कंपनियां

च. पात्रता मानदंड

(i) **भागीदार संस्थान (पीआई) के लिए संस्थागत/शासकीय पात्रता मानदंड**

1. सभी पीआई के पास पीआई के कानूनी रूप पर लागू निदेशक मंडल/प्रबंधन समिति जैसा विधिवत गठित शासी निकाय होना चाहिए।

2. सभी पीआई के पास एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी / प्रबंध निदेशक (या समकक्ष) होना चाहिए और प्रमुख पदों पर पर्याप्त संख्या में योग्य तकनीकी और प्रबंधकीय कर्मचारी होने चाहिएं।

3. सभी पीआई को उप-नियमों में संशोधन करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

4. सभी पीआई में प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी सहित वरिष्ठ / प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के लिए निश्चित / अबाधित कार्यकाल होना चाहिए।

5. सभी पीआई के बोर्ड को वित्त, डेयरी प्रौद्योगिकी और विपणन के क्षेत्र में एक-एक विशेषज्ञ को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नामित करना चाहिए।

(ii) वित्तीय मानदंड

(i) सामान्य वित्तीय मानदंड (सभी पीआई के लिए लागू)

1. खातों की लेखापरीक्षा अद्यतन होनी चाहिए और लेखा परीक्षक की टिप्पणियों में कोई प्रतिकूल राय या अस्वीकरण नहीं होना चाहिए।

2. पीआई का किसी वित्तीय संस्थान पर कोई अतिदेय नहीं होना चाहिए।

3. पीआई को किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान में चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

4. पीआई को परियोजना में अपना हिस्सा देना जरूरी है। हालांकि, यदि पीआई के पास अपने हिस्से का योगदान करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, तो राज्य सरकार आवश्यक अनुदान की पेशकश कर सकती है।

(ii) अतिरिक्त वित्तीय मानदंड (परियोजना के तहत ऋण लेने वाले पीआई के लिए मान्य)

1. पीआई के पास सकारात्मक निवल सम्पति होनी चाहिए।

2. उत्पादक सदस्यों की सभी बकाया राशि चार भुगतान अवधियों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. परियोजना का वित्तीय लाभ: परियोजना में सभी उप परियोजनाओं के लिए निवेश पर प्रतिफल की समान दर 10% (न्यूनतम) (आरओआई) होगी और 1.5 गुना (न्यूनतम) ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) होगी।

4. ऋण को संपार्श्विक प्रतिभूति के माध्यम से सुरक्षित किया जाना चाहिए, जो अचल संपत्ति के बंधक और चल संपत्ति के दृष्टिबंधक के रूप में ऋण राशि का न्यूनतम 1.5 गुना होनी चाहिए। कमी की स्थिति में, राज्य सरकार की गारंटी की आवश्यकता होगी।

(iii) तकनीकी मानदंड : घटकवार

क. दूध खरीद अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण:

1. पीआई की अपनी दूध प्रसंस्करण सुविधाएं होनी चाहिएं या मौजूदा दूध प्रसंस्करण सुविधा के साथ फारवर्ड लिंकेज होनी चाहिए।

2. पीआई के पास डीसीएस बिल्डिंग और हाउसिंग बल्क मिल्क कूलर स्थापित करने के लिए किसी भी ऋणभार से मुक्त भूमि/परिसर होना चाहिए।

3. उस पीआई को वरीयता दी जाएगी जिनके पास पहले से ही आईटी आधारित सूचना और निगरानी प्रणाली है।

4. पीआई को उत्पादक संस्थाओं को संगठित करने, ग्राम स्तर पर दूध संग्रह की प्रक्रियाओं, दूध गुणवत्ता परीक्षण, दुग्ध उत्पादकों को समय पर भुगतान और शिकायत निवारण की प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए।

ख. प्रसंस्करण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण

1. पीआई के पास संयंत्रों की स्थापना के लिए अपेक्षित पर्यावरणीय/सांविधिक मंजूरी होनी चाहिए।
2. नए संयंत्र की स्थापना या मौजूदा संयंत्र के विस्तार के मामले में पीआई के पास किसी भी ऋणभार से मुक्त अपनी खुद की भूमि/दीर्घावधि पट्टा होना चाहिए। पट्टे के मामले में, एनडीडीबी के पास गिरवी रखने के लिए संबंधित प्राधिकारी से अपेक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

ग. विपणन अवसवंरचना का सुदृढीकरण

1. पीआई के पास तरल दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री के लिए खुद की दूध प्रसंस्करण सुविधाएं और विपणन तंत्र होना चाहिए।

घ. आईसीटी अवसंरचना के लिए सहयोग

1. पीआई की अपनी दूध प्रसंस्करण सुविधाएं होनी चाहिएं या मौजूदा दूध प्रसंस्करण सुविधा के साथ फारवर्ड लिंकेज होनी चाहिए।
2. पीआई के पास आईसीटी अवसंरचना और अनुप्रयोगों के प्रबंधन के लिए सक्षम जनशक्ति होनी चाहिए।

ड. उत्पादकता में वृद्धि

ड.1- उप घटक : पीई के लिए पोषकीय हस्तक्षेप

1. परियोजना के लिए विशेष रूप से तकनीकी जनशक्ति की पहचान/भर्ती करने वाले पीआई पर विचार किया जाएगा।

2. पीआई के पास गोपशु आहार (गर्भावस्था हेतु चारा, बछड़े हेतु प्रारम्भिक चारा और बछड़ो के विकास हेतु भोजन), खनिज मिश्रण और प्रजनन पूरक के निर्माण और आपूर्ति के लिए अपने स्वयं के संयंत्र होने चाहिए या इन उत्पादों की उपलब्धता के लिए एक सुनिश्चित स्रोत होना चाहिए।

3. एनडीपी I के तहत पशु पोषण क्रियाकलापों (राशन संतुलन कार्यक्रम (आरबीपी) / चारा विकास) को सफलतापूर्वक लागू करने वाले पीआई को वरीयता दी जाएगी।

4. उन पीआई को वरीयता दी जाएगी जो क्रियाकलापों की स्थिरता के लिए शुरू से कायिक निधि बनाएंगे।

ड.2 उप घटक : चारा विकास

ड.2.1 चारा बीज उत्पादन और वितरण/चारा संरक्षण और हरे चारे की वृद्धि तथा चारा प्रौद्योगिकी संबंधी प्रदर्शन

1. पीआई के पास ग्राम डेयरी सहकारी समितियों, दुग्ध उत्पादक संस्थानों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), जैसे ग्रामीण स्तर के किसान संगठनों का नेटवर्क होना चाहिए और क्षेत्र स्तर पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए प्रदर्शन आयोजित करने का अनुभव होना चाहिए।
2. पीआई के पास प्रदर्शन के लिए एक ठोस योजना बनाने और लागू करने की क्षमता होनी चाहिए।
3. इस क्षेत्र में पूर्व अनुभव रखने वाले पीआई को वरीयता दी जाएगी।

ड.2.2 – फसलों के अवशेष का प्रबंधन

1. पीआई के पास फसल अवशेष संवर्धन और सघनीकरण हेतु एक ठोस योजना तैयार करने और लागू करने की क्षमता होनी चाहिए।
2. इस क्षेत्र में पूर्व अनुभव रखने वाले पीआई को वरीयता दी जाएगी।
3. पीआई के पास इकाइयों को स्थापित करने के लिए भूमि (ऋणभार रहित) होनी चाहिए।
4. पीआई के परिचालन क्षेत्र में से बड़ी मात्रा में अधिशेष फसल अवशेषों, अनाज/नकदी/फसलों की उपलब्धता।
5. पीआई के पास कार्यान्वयन संबंधी कार्य के लिए ग्राम स्तर के किसान संगठनों जैसे ग्राम डेयरी सहकारी समितियों, दुग्ध उत्पादक संस्थानों और एसएचजी का नेटवर्क होना चाहिए।

छ. परियोजना की अवधि:

यह योजना वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के दौरान लागू की जाएगी और वर्ष 2027-28 तक जारी रहेगी।

ज. निधियन का तरीका और निधि प्रवाह:

योजना के तहत निधि को ऋण घटक और अनुदान घटक में वर्गीकृत किया गया है। जबकि 21 दिसंबर 2018 को भारत सरकार (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा जापान सरकार के साथ ऋण घटक पर हस्ताक्षर किए गए हैं**,** अनुदान घटक को चल रहे कार्यक्रम 'राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम' **(**एनपीडीडी) के तहत वित्त पोषित किया जाएगा।

क) निधियन का तरीका :

i प्रसंस्करण अवसरंचना के घटक और चारा निर्माण सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए इसे ब्याज वाले ऋण के रूप में वित्त पोषित किया जाएगा (परियोजना लागत का 90% ऋण के रूप में और शेष 10% राज्य सरकार/पीओआई के योगदान के रूप में)।

ii. ग्राम स्तर के उत्पादक संस्थान के लिए भवन तथा बीएमसी और एएमसीयू/डीपीएमसीयू पर होने वाली पूंजीगत लागत को 50% ओडीए ऋण और 50% सहायता अनुदान के रूप में वित्त पोषित किया जाएगा।

iii. उत्पादकता वृद्धि, दूध संग्रह हेतु सहायक उपकरण, ग्राम स्तर पर सभी दूध परीक्षण उपकरण, डेयरी सहकारी समिति (डीसीएस) की स्थापना जैसे क्रियाकलापों को 90%

सहायता अनुदान और 10% राज्य सरकार / पीओआई के योगदान के रूप में वित्त पोषित किया जाएगा।

iv. आईसीटी और विपणन अवसंरचना को 80% ओडीए ऋण और 20% भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता के रूप में वित्त पोषित किया जाएगा

v. परियोजना प्रबंधन और अधिगम 100% अनुदान के आधार पर होगा। निधि का 90% एनडीडीबी को प्रशिक्षण, विदेशी एक्सपोजर, समवर्ती मूल्यांकन, प्रभाव अध्ययन, खातों के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति आदि के लिए हस्तांतरित किया जाना है। शेष 10% फंड को डीएएचडी में पीसीएमसी बनाने और प्रबंधित करने के लिए योजना के उचित शीर्ष के तहत उपयुक्त बजट प्रावधान के रूप में रखा जाएगा।

ख) एनपीडीडी के घटक 'ख' (जेआईसीए) का निधि प्रवाह तंत्र:

येन और रुपये में मुद्रा के अंतर से उत्पन्न होने वाली हेजिंग लागत भारत सरकार वहन करेगी। सरकारी वित्त नियमों और जेआईसीए प्रक्रिया के अनुसार, ओडीए ऋण को जेआईसीए द्वारा दो/तीन हिस्सों में भारतीय रिजर्व बैंक की भारत की समेकित निधि में स्थानांतरित किया जाना है। बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) अनुमोदित कार्यक्रम के आधार पर और वर्ष दर वर्ष आधार पर डीएएचडी द्वारा यथा प्रस्तावित उपयुक्त बजट का प्रावधान करेगा। इसके बाद, व्यय विभाग, योजना के तहत डीएएचडी, को बजट आवंटित करेगा। डीएएचडी, सीपीएससी द्वारा अनुमोदित कार्य योजना और कार्यक्रम के तहत की गई प्रगति के आधार पर एनडीडीबी को निधि जारी करेगा। अधिमानतः, इस तरह का निष्पादन एक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में किया जाएगा।

भारत सरकार को जेआईसीए से लगभग 0.85% प्रति वर्ष की दर से ओडीए ऋण प्राप्त होगा और फिर भारत सरकार द्वारा उत्पादक के स्वामित्व वाले संस्थानों (पीओआई) को 1.5% प्रति वर्ष की दर से संवितरण के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को अंतरित करेगी। एनडीडीबी फंड प्रबंधन की लागत और ऋण चूक जोखिम के रूप में 0.5-0.65% प्रति वर्ष का मार्जिन बनाए रखेगा। भारत सरकार द्वारा जेआईसीए को प्रतिपूर्ति की अवधि 20 वर्ष है (जेआईसीए ओडीए ऋण की चुकौती अवधि 5 वर्ष की छूट के साथ 15 वर्ष है)। उत्पादक के स्वामित्व वाले संगठन (सहकारिता और निर्माता कंपनियों) द्वारा एनडीडीबी को प्रतिपूर्ति की अवधि अधिकतम 10 वर्ष होगी, जिसमें से पहले 2 वर्ष (अधिकतम) मूल राशि के भुगतान पर

रोक रहेगी।

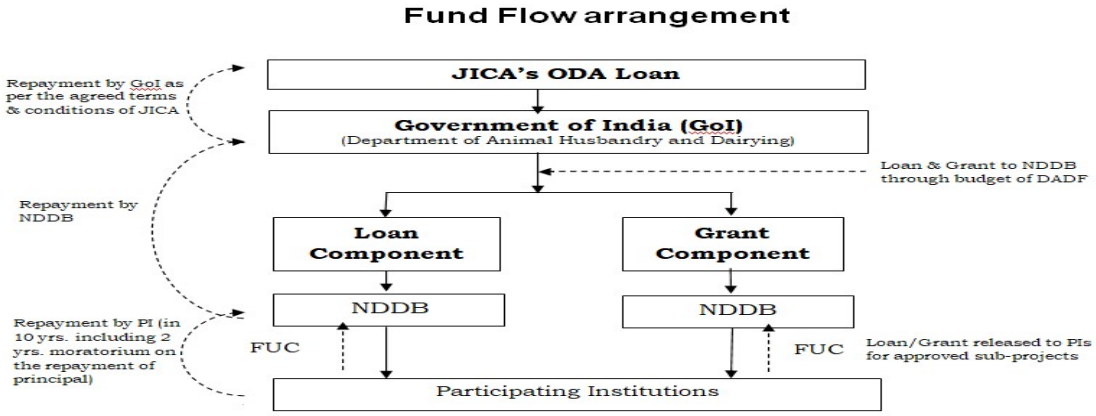

झ. जापानी ओडीए ऋणों के साथ जेआईसीए खरीद संबंधी दिशानिर्देश

जापानी ओडीए ऋणों द्वारा कवर की गई वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, "जापानी ओडीए ऋण के तहत खरीद के लिए दिशानिर्देश", अप्रैल 2012 के अनुसार की जानी चाहिए। अप्रैल, 2012 से सलाहकारों की नियुक्ति "जापानी ओडीए ऋण के तहत सलाहकारों की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश" के अनुसार की जानी चाहिए। "परियोजना के तहत खरीद के सिद्धांत"

ञ. संस्थागत व्यवस्था :

एनपीडीडी	घटक 'ख'
	सहकारी क्षेत्र
अनुशंसा करने वाला प्राधिकरण (प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण हेतु)	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) का कार्यान्वयन और निगरानी प्रकोष्ठ (आईएमसी)
राज्य कार्यान्वयन एजेंसी/कार्यान्वयन एजेंसी	एनडीडीबी-परियोजना कार्यान्वयन एवं निगरानी हेतु नोडल एजेंसी

अन्तिम कार्यान्वयन एजेंसियां/पीआई/पीओ	सभी राज्य डेयरी परिसंघ और उनके घटक जिले/तालुका स्तर के दुग्ध संघ और किसान उत्पादक संगठन, सरकारी डेयरी/अन्य पंजीकृत सहकारी संघ (जैसे बहु राज्य सहकारी अधिनियम और पारस्परिक सहायता प्राप्त सहकारी समिति अधिनियम आदि के तहत पंजीकृत डेयरी सहकारी समितियां)।
ग्राम स्तर की भागीदारी एजेंसियां	सभी डेयरी सहकारी समितियां या उपरोक्त एसआईए या ईआईए से संबंद्ध अन्य एजेंसियां, जैसे गांव स्तर के गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, आईसीएआर संस्थान आदि।

(क) कार्यान्वयन तंत्र

परियोजना को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा जो इसे राज्य डेयरी परिसंघ, बहु राज्य दुग्ध सहकारी समितियों, जिला / तालुका दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों जैसे उत्पादक उन्मुख संस्थानों (पीओआई) के माध्यम से कार्यान्वित करेगा।

(ख) निगरानी और नीतिगत निर्णय

(i) केंद्रीय परियोजना संचालन समिति (सीपीएससी) -

शीर्ष स्तर पर, सचिव (एएचडी), भारत सरकार की अध्यक्षता में एक केंद्रीय परियोजना संचालन समिति (सीपीएससी) होगी, जो परियोजना को नीतिगत और रणनीतिक सहायता प्रदान करेगी, एनपीडीडी के घटक ख की अनुमोदित परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करेगी, वार्षिक कार्य- योजनाओं पर विचार करेगी, नीतिगत निर्देश देनी और उसके पास अनुमोदित कार्यक्रमों में घटक-वार निधि की आवश्यकता को पुनर्विनियोजित करने, हितधारकों के बीच पात्रता शर्तों तथा समझौतों के अन्य नियमों और शर्तों को बदलने, कार्यान्वयन व्यवस्था और सीपीएससी, पीएससी और आईएमसी नामक समितियों की संरचना को बदलने का प्राधिकार होगा।

सचिव, डीएएचडी	अध्यक्ष
वित्तीय सलाहकार डीएएचडी	सदस्य
पशुपालन आयुक्त, डीएएचडी	सदस्य
उप महानिदेशक (पशु विज्ञान) आईसीएआर	सदस्य
राज्यों के पशुपालन और डेयरी विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी से एक-एक)	सदस्य
राज्य दुग्ध परिसंघों के प्रबंध निदेशक (पूर्व, पश्चिम, उत्तर दक्षिण से एक-एक)	सदस्य
अध्यक्ष, एनडीडीबी या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य	सदस्य
प्रबंध निदेशक/कार्यकारी निदेशक, एनडीडीबी	सदस्य

समूह प्रमुख (एफपीएस), एनडीडीबी	सदस्य
निदेशक, एनडीआरआई करनाल	सदस्य
एनआरएलएम - के प्रतिनिधि	सदस्य
एक पर्यवेक्षक के रूप में जेआईसीए के प्रतिनिधि	सदस्य
संयुक्त सचिव (सीडीडी), डीएएचडी	सदस्य सचिव

(ii) परियोजना संस्वीकृति समिति (पीएससी)

परियोजना मंजूरी समिति (पीएससी) की अध्यक्षता सचिव एएचडी, भारत सरकार द्वारा की जाएगी। इस समिति के पास घटक 'ख' के लिए (आईएमसी), एनडीडीबी द्वारा मूल्यांकित और अनुशंसित परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार होगा। पीएससी के पास घटकों के भीतर धन के पुनर्विनियोकजन करने, मानदंड बदलने और परियोजना की मदो की इकाई लागत बदलने की शक्ति होगी। पीएससी के उसी समान पीओआई/आईए की अनुमोदित उप परियोजनाओं के भीतर निधियों को पुनर्विनियोजित करने और उप-परियोजनाओं के लिए ऋण सुरक्षा तंत्र (घटक 'ख' के संदर्भ में) तय करने की शक्ति होगी। पीएससी यह सुनिश्चित करने के लिए पीओआई/आईए से प्राप्त प्रस्तावों पर बिना किसी अनुचित देरी के विचार किया जाए। त्रैमासिक या यथा आवश्यक रूप से बैठक करेगी। पीएससी की संरचना इस प्रकार होगी:

i.सचिव, एएचडी, भारत सरकार-समिति के अध्यक्ष

ii. वित्तीय सलाहकार, डीएएचडी

iii. संयुक्त सचिव (डेयरी विकास), डीएएचडी

iv अध्यक्ष, एनडीडीबी या उनके द्वारा विनिर्दिष्ट कोई जो कार्यकारी निदेशक (ईडी) के पद से नीचे का न हो

v. कार्यकारी निदेशक / समूह प्रमुख (एफपीएस), एनडीडीबी

vi. किसी विशिष्ट राज्य से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा करते समय संबंधित राज्य सरकार और राज्य डेयरी परिसंघ का एक प्रतिनिधि आमंत्रित व्यक्ति होगा।

vii. आईसीएआर के प्रतिनिधि

viii. ग्रामीण विकास प्रतिनिधि

ix. एनआरएलएम/संबंधित एसआरएलएम के प्रतिनिधि

x. उपायुक्त (डीडी) / सहायक आयुक्त (डीडी), भारत सरकार - सदस्य संयोजक

(iii) कार्यक्रम समन्वय प्रबंधन प्रकोष्ठ (पीसीएमसी)

सीपीएससी और पीएससी को सचिवालय सहायता प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम समन्वय प्रबंधन प्रकोष्ठ (पीसीएमसी) बनाया जाएगा। पीसीएमसी, एनडीडीबी के आईएमसी द्वारा पीएससी को भेजी गई परियोजनाओं के विश्लेषण और प्लेसमेंट के साथ-साथ उद्देश्यों के अनुसार परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सीपीएससी को इनपुट प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा। पीसीएमसी की अध्यक्षता संयुक्त सचिव (सीडीडी) करेंगे। परियोजना परामर्श घटक के तहत परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) परियोजना कार्यकलापों के कार्यान्वयन में पीसीएमसी और आईएमसी की सहायता करेगा।

(iv) राज्य स्तरीय तकनीकी प्रबंधन समिति (एसएलटीएमसी)

राज्य स्तर पर, एक राज्य स्तरीय तकनीकी प्रबंधन समिति (एसएलटीएमसी) होगी, जिसकी अध्यक्षता राज्य के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/आयुक्त करेंगे, जिसमें प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सदस्यों और राज्य में लागू समान डेयरी विकास कार्यक्रमों के बीच तालमेल रखने के लिए डीएएचडी, एसआरएलएम, राज्य डेयरी परिसंघ और एनडीडीबी, के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होंगे। एसएलटीएमसी परियोजनाओं की राज्य-स्तरीय निगरानी, प्राथमिक डेयरी सोसाटियों, थोक दूध प्रशीतन केंद्र और गोपशु चारा संयंत्रों, जैसे ग्रामीण स्तर के संस्थानों आदि जैसे के लिए भूमि की उपलब्धता वैधानिक आवश्यकताओं, पीआई और एनडीडीबी के बीच समन्वय, नीतिगत समर्थन आदि को देखेगी। सभी पीओआई /एसआईए समिति के सदस्य होंगे। एसएचजी द्वारा

संचालित निजी डेयरियों/उत्पादक कंपनियों के भारत सरकार को अनुशसित किए जाने वाले परियोजना प्रस्ताव संबंधित एसएलटीएमसी को प्रस्तुत किए जाएंगे। एसएलटीएमसी की संरचना इस प्रकार होगी:

i. राज्य सरकार के डीएडीएफ के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/आयुक्त-समिति के अध्यक्ष
ii. राज्य सरकार के डेयरी विकास/पशुपालन विभाग के प्रतिनिधि।
iii. पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार के प्रतिनिधि।
iv. राज्य सरकार के वित्त एवं योजना विभाग के प्रतिनिधि
v. योजना जिलों के जिलाधिकारी या उनके प्रतिनिधि।
vi. सीईओ, राज्य पशुधन बोर्ड।
vii. एसआरएलएम के प्रतिनिधि
viii. प्रबंध निदेशक, राज्य डेयरी परिसंघ / दुग्ध उत्पादक कंपनी - सदस्य संयोजक (घटक 'क' के तहत परियोजनाओं के लिए)
ix. एनडीडीबी के प्रतिनिधि (अध्यक्ष, एनडीडीबी द्वारा मनोनीत), सदस्य संयोजक (घटक 'ख' के तहत परियोजनाओं के लिए)

(v) कार्यान्वयन और निगरानी प्रकोष्ठ (आईएमसी)

एनडीडीबी, आनंद में स्थित कार्यान्वयन और निगरानी प्रकोष्ठ (आईएमसी) परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगा और योग्यता के आधार पर उनकी जांच करेगा तथा परियोजना दैनिक क्रियाकलापों के कार्यान्वयन और निगरानी का प्रबंधन करेगा। आईएमसी मूल्यांकित परियोजना को विचार के लिए पीएससी को अग्रेषित करेगा। आईएमसी को योजना और पीएमसी के कार्यान्वयन के दौरान एनडीडीबी के भीतर विभिन्न तकनीकी समूहों द्वारा समर्थित किया जाएगा। आईएमसी का नेतृत्व एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक/कार्यकारी निदेशक करेंगे। आईएमसी अनुमोदित परियोजना के अनुमोदित उप-घटकों के भीतर निधियों के पुनर्विनियोजन और पीएससी की सहमति के अधीन उप-परियोजनाओं के लिए ऋण घटक की प्रतिभूतिकरण व्यवस्था के संबंध में उचित प्रयास करेगा। आईएमसी प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम में आवश्यक परिवर्तनों की पहचान करेगा और सीपीएससी के निर्णय के लिए नीति प्रस्ताव तैयार करेगा। यह वार्षिक कार्य योजना, अनुसूची 6 में यथा उल्लिखित प्रतिपूर्ति प्रक्रिया के अनुसार व्यापक ऋण निकासी योजना (तिमाही/छमाही/वार्षिक) और सीपीएससी के विचार के लिए कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन हेतु आवश्यक तकनीकी मूल्यांकन नोट/दस्तावेज भी तैयार करेगा।

ट. परियोजना की तैयार करना और प्रस्ताव प्रस्तुत करना

I. एनडीडीबी परियोजना के संवेदीकरण के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करेगा। कार्यशाला के साथ-साथ संभावित भागीदार संस्थानों (पीआई) को रणनीतिक प्रबंधन, व्यवसाय आयोजना और विपणन रणनीति के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

II. एनडीडीबी के समर्थन से पीआई/पीओआई उप-परियोजना प्रस्ताव तैयार करेंगे और आईएमसी और एसएलटीएमसी को प्रस्तुत करेंगे। आईएमसी, एनडीडीबी के तकनीकी और कार्यात्मक समूहों के समर्थन से मूल्यांकन करेगा। एसएलटीएमसी उप-परियोजना की स्क्रीनिंग के बाद भारत सरकार को सिफारिश भेजेगा। यदि पीआई/पीओआई को व्यवहार्यता अंतर को भरने के लिए गारंटी और/या अनुदान की आवश्यकता है, तो एसएलटीएमसी को सिफारिश के साथ संबंधित राज्य सरकार से एक प्रतिबद्धता पत्र भारत सरकार को भेजना होगा। आईएमसी द्वारा प्रस्ताव का तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन पूरा होने के बाद, 'अनुमोदन के लिए नोट' तैयार किया जाएगा और अनुमोदन के लिए पीएससी को प्रस्तुत किया जाएगा।

III. यदि पर्यावरण मंजूरी/अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो एनडीडीबी अनुपालन की जांच करेगा और पीआई को सूचित करेगा। पीआई किसी भी परियोजना क्रियाकलापों को शुरू करने से पहले मंजूरी को प्राप्त करेंगे।

IV. जेआईसीए से समीक्षा करने के लिए, पीएससी द्वारा उप-परियोजनाओं को मंजूरी देने के बाद, आईएमसी पर्यावरण और सामाजिक विचारों के लिए जेआईसीए दिशानिर्देशों (अप्रैल 2010) के अनुसार प्रत्येक उप-परियोजना के वित्तपोषण अनुरोध प्रारूप, स्क्रीनिंग प्रारूप को अनुमोदन के लिए आईएमसी के नोट के साथ प्रस्तुत करेगा। .

V. सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के बाद, एनडीडीबी और पीआई परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। पीआई मासिक आधार पर आईएमसी को निधि उपयोगिता प्रमाण-पत्र (एफयूसी) प्रस्तुत करेंगे, और तदनुसार, एनडीडीबी पीआई को निधि का संवितरण करेगा। जबकि उप-परियोजना में विभिन्न घटक शामिल होंगे, एनडीडीबी ऋण और अनुदान की निधि का प्रबंधन और वितरण अलग से करेगा।

VI. आईएमसी क्षेत्र का दौरा करने सहित उप-परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करेगा। आईएमसी उप-परियोजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट डीएएचडी, भारत सरकार को देगा, जिसकी प्रतिलिपि जेआईसीए को दी जाएगी।

VII. सहकारी समितियों (डीटीसी) की जेआईसीए सहायता प्राप्त परियोजना के माध्यम से डेयरी के तहत परियोजना/उप परियोजना प्रस्ताव संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करेंगे और परिहार्य व्यय और क्रियाकलापों के दोहराव/ओवरलैप को कम करेंगे।

VIII. बेकार उपकरणों और क्षतिग्रस्त लेकिन मरम्मत योग्य उपकरणों को फिर से चालू करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिएं। परियोजना के एक भाग के रूप में खराब हो चुके उपकरणों को दर्शाने वाली सूची तैयार की जानी चाहिए। वास्तविक आवश्यकता का आकलन करने के बाद ही नई खरीद का प्रस्ताव किया जाएगा।

IX. अलग-अलग परियोजनाओं के लिए डीपीआर, संलग्न मॉडल उप परियोजना प्रस्ताव (एसपीपी) के आधार पर तैयार किए जाएंगे। मॉडल उप-परियोजना योजना के साथ एक नया परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश/प्रक्रिया, डीएएचडी/एनडीडीबी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

X. प्रस्ताव में संयंत्र के लिए एफएसएसएआई पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियां, बीआईएस से प्रक्रिया प्रमाणन, बैलेंस शीट और डीपीआर में पिछले वित्तीय वर्ष के संबंधित पीओआई की आयकर रिटर्न की एक प्रति शामिल होगी।

XI. एसएलटीएमसी द्वारा विधिवत रूप से अनुशंसित पीआई/पीओआई का परियोजना प्रस्ताव एनडीडीबी को प्रस्तुत की जाए जिसकी एक प्रति विचार के लिए डीएएचडी को पृष्ठांकित की जाए।

XII. एनडीडीबी योजना के तहत प्राप्त सभी प्रस्तावों की डीपीआर और मूल्यांकन नोट डीएएचडी को प्रस्तुत करेगा।

XIII. आईएमसी क्षेत्र का दौरा करने सहित उप-परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करेगा। आईएमसी उप-परियोजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट डीएएचडी को देगी।

ठ. सूचना प्रस्तुत करना:

पीओआई निम्नलिखित सूचना तिमाही आधार पर एनडीडीबी को प्रस्तुत करेगा जिसकी प्रतिलिपि डीएएचडी को पृष्ठांकित की जाएगी (मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंत में):

i) परियोजना-वार और घटक-वार प्रगति रिपोर्ट जिसमें कुल परिव्यय, ऋण और अनुदान सहायता, पीआई/पीओआई योगदान, पीआई/पीओआई को जारी की गई निधि (ऋण और अनुदान), पीआई द्वारा उपयोग की गई निधि, अव्ययित शेष आदि को दर्शाया गया हो।

ii) अनुमोदित वास्तविक मापदंडों की तुलना में प्रमुख मापदंडों और उनकी तुलना में वास्तविक प्रगति। निविदा डेयरी संयंत्र/बीएमसी/कोल्ड स्टोरेज की स्थापना/ प्रयोगशाला उपकरणों आदि की स्थिति।

iii) एनडीडीबी को लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र (पंजीकृत लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित और राज्य सरकार के संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित)। एनडीडीबी उपयोग के आधार पर और नए प्रस्ताव के लिए भी निधि जारी करने का प्रस्ताव करेगा। नए प्रस्ताव के मामले में, राज्य में चल रहे प्रस्तावों की प्रगति प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता है।

iv) अनुमोदित घटकों/उप-घटकों/मदों आदि की तुलना में व्यय की लेखापरीक्षित रिपोर्ट।

vi) परियोजना के अंतर्गत शामिल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला आबादी।

ड. परियोजना पूर्णता रिपोर्ट:

एक परियोजना के पूरा होने पर, एसएलटीएमसी लक्ष्य की तुलना में परियोजना के तहत प्राप्त उपलब्धियों की समीक्षा करेगी और एक समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र (लेखा परीक्षित) और व्यय के समेकित लेखापरीक्षित विवरण, पीओआई/पीआई आदि के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के साथ अपनी उपलब्धियों, असफलताओं, डेयरी संयंत्र / बीएमसी की परिचालन स्थिति आदि दर्शाते हुए एक परियोजना पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी)।

एनडीडीबी द्वारा जेआईसीए के वित्त पोषण के तहत शुरू की गई सभी सुविधाओं पर निम्नलिखित लोगो लगाया जाएगा: